


RBE No.133/2019



PCPO's Sl.No.164/2019

No. E/205(A)/O/ECR/4JP

Dated:-17.09.2019

1. CAO (Con.) / उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : Anomaly in fixation of pay of Chief Loco Inspectors appointed prior to 01.01.2016 with reference to their Juniors appointed after 01.01.2016 and drawing more pay than the seniors.


संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.E(P&A)II/2017/RS-06 Dated: 16.08.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायांप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

  
17.9.19

(सौरभ सावर्णी)

वकाधि / ई.एस.एम  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव / ई.सी.आर.के.यू. / पू.म.रे. / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस.ओ.सी.ओ. / एस.ओ.टी.ओ. / ए.शो.सि.ए.शन / पू.म.रे. / हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.) / पू.म.रे. / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.ए.शो.सि.ए.शन / पू.म.रे. / हाजीपुर।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
 रेल प्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय  
 (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)  
 पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

PC-VII/14-3

RBE No. 137/2019

New Delhi, dated 16.08.2019

No.E(F&A)II/2017/RS-06

21 AUG 2019

The General Manager,  
 All-Indian Railways &  
 Production Units.

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 4

ECR/Hajipur

Sub : Anomaly in fixation of pay of Chief Loco Inspectors appointed prior to 01.01.2016 with reference to their juniors appointed after 01.01.2016 and drawing more pay than the seniors.

072154  
 27 AUG 2019

\*\*\*\*\*

It has come to the notice of the Board that staff appointed prior to 1.1.2016 as Chief Loco Inspectors in the pre-revised pay structure, whose pay has been fixed in the 7<sup>th</sup> CPC pay structure for Chief Loco Inspectors under the RS(RP) Rules, 2016, are drawing less pay than their juniors appointed to the Supervisory post after 1.1.2016. The anomaly has arisen due to the fact that the benefit of pay element granted at the time of promotion of running staff to a stationary post has been granted to the junior in the revised pay structure, whereas, the same benefit granted to the senior is of lesser value as the same has been calculated on pre-revised pay structure.

2. Rule 7(10) of RS(RP) Rules, 2016 contains the provisions for stepping up of pay in case of anomaly in pay fixation between senior and junior employees, subject to certain conditions. The anomaly in the case of Chief Loco Inspectors has arisen due the benefit of pay element reckoned for fixation of pay on promotion of running staff to a stationary post being granted in pre-revised pay structure or revised pay structure.

3. Therefore, in accordance with Rule 7(10) of RS(RP) Rules, 2016, it has been decided that the anomaly be resolved by granting stepping up of pay to the seniors at par with the juniors subject to the following conditions:-

- (a) Both the junior and the senior Railway servants should belong to the same cadre from which they have been promoted to the higher post and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre;
- (b) The existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw are identical;
- (c) The senior Railway servants at the time of promotion are drawing equal or more pay than the junior;

PCPO ✓  
 PFA

Shree Prakash

Please Circulate


Amal  
 12/8/19

emp  
 12/8/19

12/8/19

- (d) The stepping up of pay will be allowed to running staff appointed as Chief Loco Inspectors only in whose cases extant quantum of pay element (*at present 30%*) is reckoned for pay fixation. The stepping up of pay will not be admissible to the non-running staff appointed as Loco Running Supervisors as in their cases the question of pay element in the running allowance does not arise;
- (e) If even in the lower post, revised or pre-revised, the junior was drawing more pay than the senior by virtue of advance increments granted to him or otherwise, stepping up will not be permissible;
- (f) In cases where the conditions are not met, stepping up of pay would not be admissible. For instance a Chief Loco Inspector promoted from Loco Pilot (Goods) prior to 1.1.2016 and the junior promoted to Chief Loco Inspector from Loco Pilot (Passenger) or from Loco Pilot (Mail/Express) [*i.e. from a different post/cadre*] after 1.1.2016 are not identical and such would not come under the purview of instructions relating to stepping up of pay.
- (g) In this connection, it is stated that LP (Goods), LP (Passenger) and LP (M/E) form three different and distinct seniority units and would, therefore, constitute different cadres/posts in the context of clause (a) above as clearly brought out in (f) above.
- (h) Stepping up will be allowed only once, the pay so fixed after stepping up will remain unchanged;
- (i) The senior shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.


4. This has the approval of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

  
(N.P. Singh)  
Joint Director/E(P&A)  
Railway Board

No.E(P&A)II/2017/RS-06

New Delhi, dated 16.08.2019

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, New Delhi-110001.

  
for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)II/2017/RS-06

New Delhi, dated 16.08.2019

Copy to :-

- (1) The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

पीसी-VIII/143

आरबीई सं. 133 /2019

सं.ई(पी एंड ए)-III/2017/आरएस-06

नई दिल्ली, दिनांक: 16.08.2019

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां।

विषय: 01.01.2016 से पहले नियुक्त किए गए मुख्य लोको इन्सपेक्टरों के वेतन और 01.01.2016 के बाद नियुक्त किए गए कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, विसंगतियां और वरिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करना।


बोर्ड के ध्यान में आया है कि 01.01.2016 से पहले संशोधन पूर्व वेतन संरचना में मुख्य लोको इन्सपेक्टरों के रूप में नियुक्त किए गए कर्मचारी, जिनका वेतन आरएस (आरपी) नियमावली, 2016 के अंतर्गत मुख्य लोको इन्सपेक्टरों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में निर्धारित किया गया है, 01.01.2016 के बाद पर्यवेक्षी पद पर नियुक्त किए गए कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यह विसंगति इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई है कि कनिष्ठ कर्मचारी को संशोधित वेतन संरचना में रनिंग स्टाफ की स्टेशनरी पद पर पदोन्नति के समय वेतन तत्व का लाभ प्रदान किया गया है, जबकि वरिष्ठ कर्मचारी को कम लाभ प्रदान किया गया है क्योंकि इसकी गणना संशोधन पूर्व वेतन संरचना पर की गई है।

2. आरएस (आरपी) नियमावली, 2016 के क्लॉट 7(10) में वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों के बीच कतिपय शर्तों के अध्यधीन वेतन निर्धारण में विसंगति के मामले में वेतन के स्टेपिंग अफ के प्रावधान का उल्लेख है। मुख्य लोको इन्सपेक्टरों के मामले में यह विसंगति इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई है कि रनिंग स्टाफ को किसी स्टेशनरी पद पर पदोन्नत करने पर वेतन निर्धारण के लिए वेतन तत्व के लाभ की गणना की गई है; जिसे संशोधन पूर्व वेतन संरचना या संशोधित वेतन संरचना में प्रदान किया जा रहा है।

3. इसलिए, आरएस (आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 7(10) के अनुसार यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वरिष्ठ कर्मचारियों को कनिष्ठ कर्मचारियों के समान स्टेपिंग अफ वेतन प्रदान करके इस विसंगति का समाधान किया जाए:

- (क) कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों रेल सेवक उसी संवर्ग से होने चाहिए, जिस संवर्ग से उन्हें उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है और जिस पर पर उन्हें पदोन्नत किया गया है, उसी संवर्ग में समान होने चाहिए;
- (ख) निम्नतर और उच्चतर पद, जिस पद पर वे वेतन लेने के हकदार हैं, की मौजूदा वेतन संरचना और संशोधित वेतन संरचना, एक समान है;
- (ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ रेल सेवक अपने कनिष्ठ के समान या उसकी तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

- (घ) मुख्य लोको इन्सपेक्टरों के रूप में नियुक्त किए गए रनिंग स्टाफ को ही स्टेपिंग अप वेतन की अनुमति दी जाएगी, जिनके मामले में वेतन निर्धारण के लिए वेतन तत्व की मौजूदा राशि (इस समय 30 प्रतिशत) की गणना की गई है। लोको रनिंग सुपरवाइजरों के रूप में नियुक्त किए गए नॉन रनिंग स्टाफ के लिए स्टेपिंग अप वेतन स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि उनके मामले में रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का प्रश्न नहीं उठता है;
- (ङ) यदि संशोधित या संशोधन पूर्व निम्नतर पद में भी कनिष्ठ कर्मचारी अपने वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में उन्हें प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण या अन्यथा किसी भी कारण से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें स्टेपिंग अप वेतन अनुमेय नहीं है;
- (च) उन मामलों, जिनमें शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, में भी स्टेपिंग अप वेतन स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, 01.01.2016 से पहले लोको पायलट (गुड्स) से पदोन्नत किए गए मुख्य लोको इन्सपेक्टर और 01.01.2016 के बाद लोको पायलट (पैसेंजर) या लोको पायलट (मेल/एक्सप्रेस) (अर्थात् किसी विभिन्न पद/संवर्ग से) से मुख्य लोको इन्सपेक्टर में पदोन्नत किए गए कनिष्ठ कर्मचारी एकसमान नहीं हैं और इसलिए ऐसे कर्मचारी स्टेपिंग अप वेतन से संबंधित अनुदेशों के दायरे में नहीं आएंगे;
- (छ) इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि लोको पायलट (गुड्स), लोको पायलट (पैसेंजर) और लोको पायलट (मेल/एक्सप्रेस) तीन अलग-अलग वरिष्ठ इकाइयां हैं और इसलिए उक्त खंड (क) के संदर्भ में विभिन्न संवर्ग/पद बनते हैं, जिसे उक्त (च) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है;
- (ज) स्टेपिंग अप की अनुमति केवल एक बार ही दी जाएगी और इस प्रकार स्टेपिंग अप के बाद निर्धारित किया गया वेतन अपरिवर्तित रहेगा;
- (झ) वरिष्ठ कर्मचारी वेतन पुनः निर्धारण की तारीख से अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अगली वेतनवृद्धि के हकदार होंगे।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जरूरी किया जा रहा है।


  
(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक/स्थापना (पी एंड ए)  
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एंड ए)-II/2017/आरएस-06

नई दिल्ली, दिनांक: 16.08.2019

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली।

  
कृते वित्त आयुक्त/रेल

सं.ई(पी एंड ए)-II/2017/आरएस-06

नई दिल्ली, दिनांक: 16.08.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आदि।
- (2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।
- (3) महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
- (4) निदेशक, (क) ईरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद
- (5) प्रिंसिपल, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।
- (6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय/नई दिल्ली।